



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि— रु0 34,91,024/-
 बाजार मूल्य — रु0 7,53,188/-
 अदा किये गये जनरल स्टैम्प— रु0 3,49,200/-

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — बिजनौर
3. ग्राम — देवामऊ
4. सम्पत्ति का विवरण — भूमि खसरा संख्या 70 रकबा

विश्वेश्वर चन्द्रिका



Amul Properties & Insurance
 Authorised Signatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 2 -

0.927 हेक्टेअर का 1/2 भाग
अर्थात् विक्रीत रकबा 0.4635 हे०
स्थित ग्राम देवामऊ परगना
बिजनौर, तहसील व जिला
लखनऊ।

1/2 रु० १०००

विनिर्देशित



Registered & ...

...



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



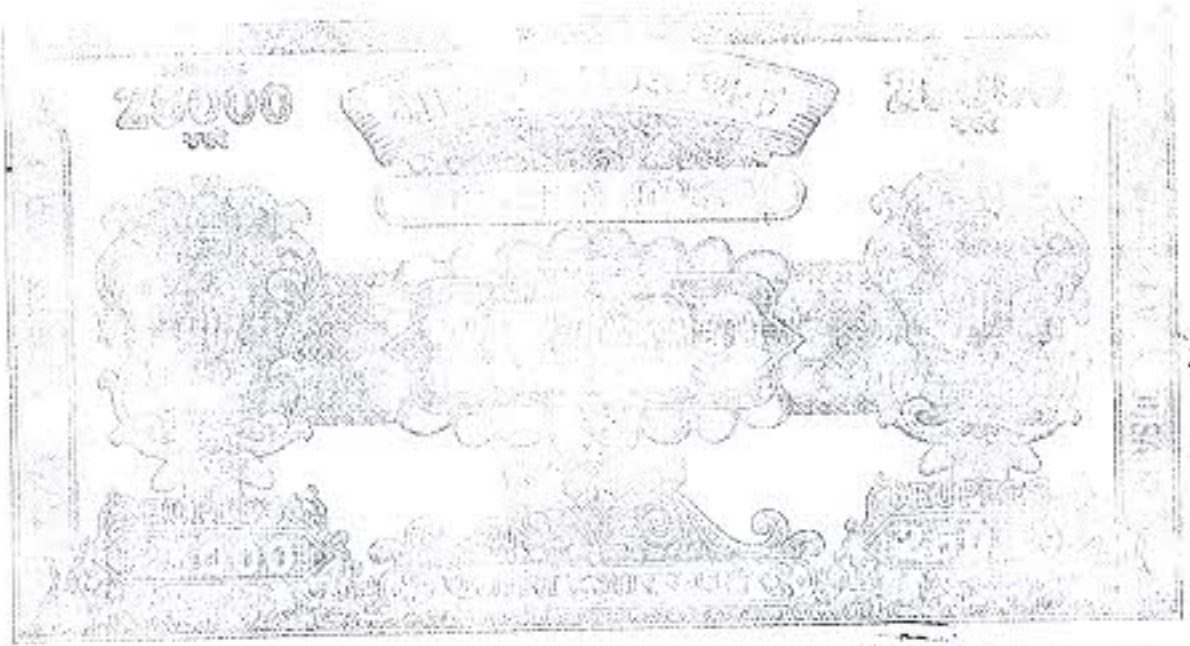
- 3 -

5. मापन की ईकाई — हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.4635 हेक्टेअर
7. सड़क की स्थिति — सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ
से लगभग 200 मीटर से अधिक
8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि

दिनांक 3.7.15

दिनांक 3.7.15

दिनांक 3.7.15



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

501619

-4-

9. पेड़ों की स्थिति - नहीं।
10. बोरिंग/ कुआं अन्य - कुछ भी नहीं है।

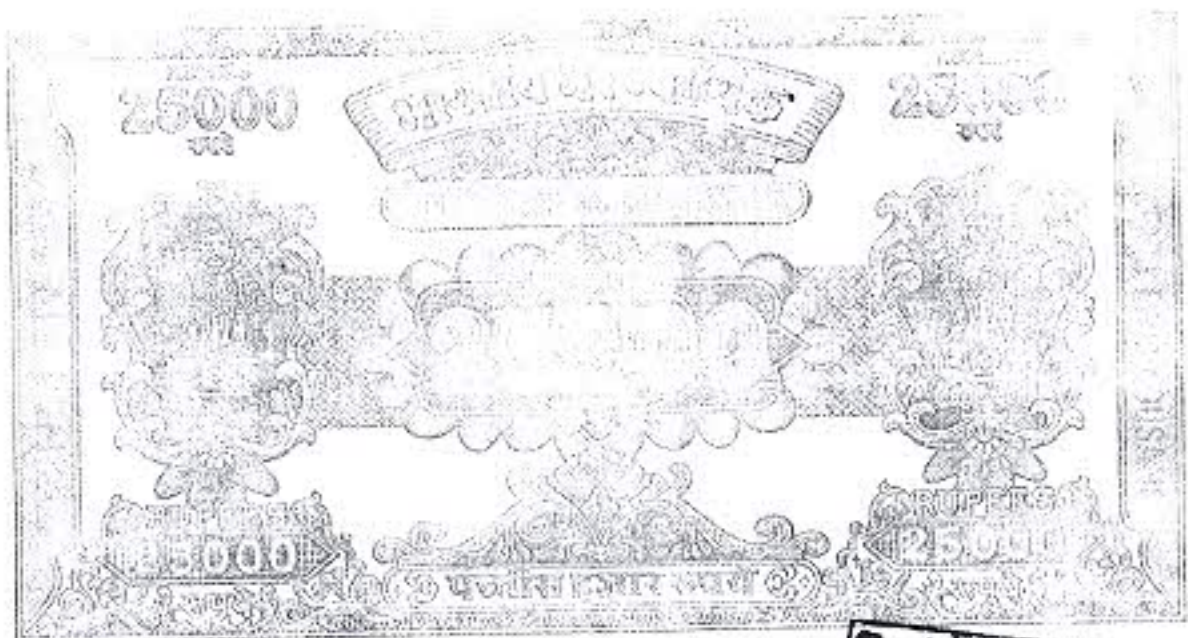
चौहद्दी खसरा नं० 70

उत्तर : खसरा नं०-68
दक्षिण : खसरा नं०-71
पूरब : खसरा नं०-75

11/3/5-4, 11

11/3/5-4, 11

11/3/5-4, 11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



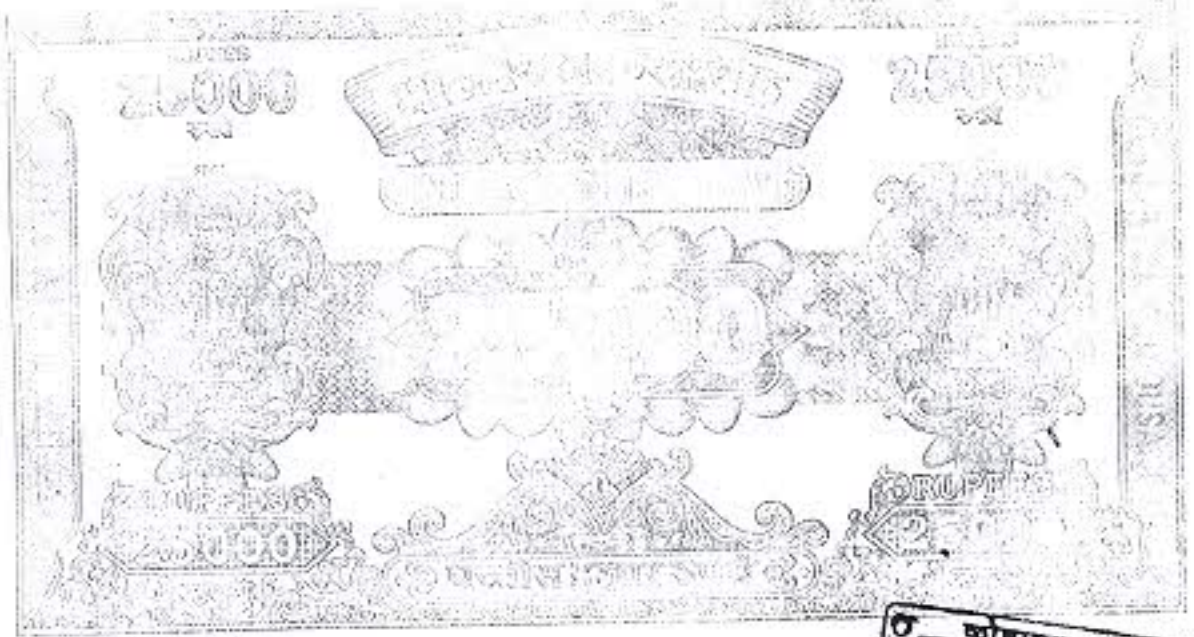
- 6 -

परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, वर्तमान पता वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री गंगापाल
--	--

दिनांक 6.02.08

दिनांक 6.02.08

(Handwritten signature)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



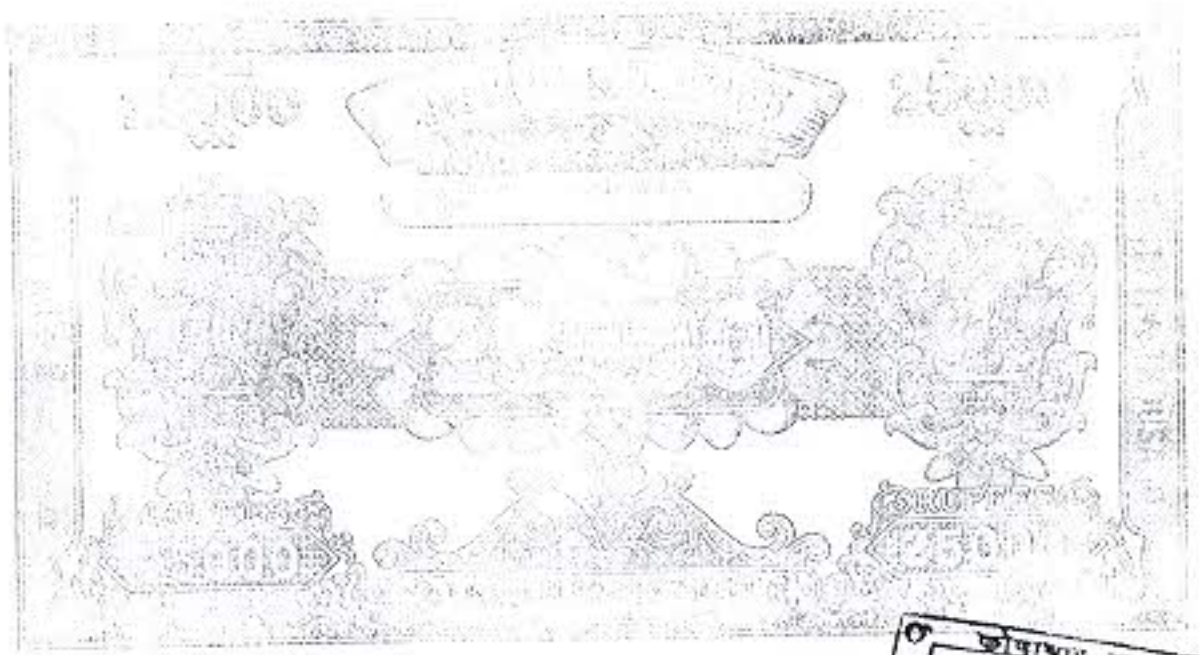
- 7 -

	सिंह वर्तमान व स्थायी पता वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ
व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- नौकरी/व्यापार

यह विक्रय विलेख 1. इंदल 2. मिठाई लाल पुत्रगण
झगडू निवासी ग्राम देवामऊ परगना बिजनौर, तहसील व

मिठाई लाल पुत्रगण

मिठाई



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



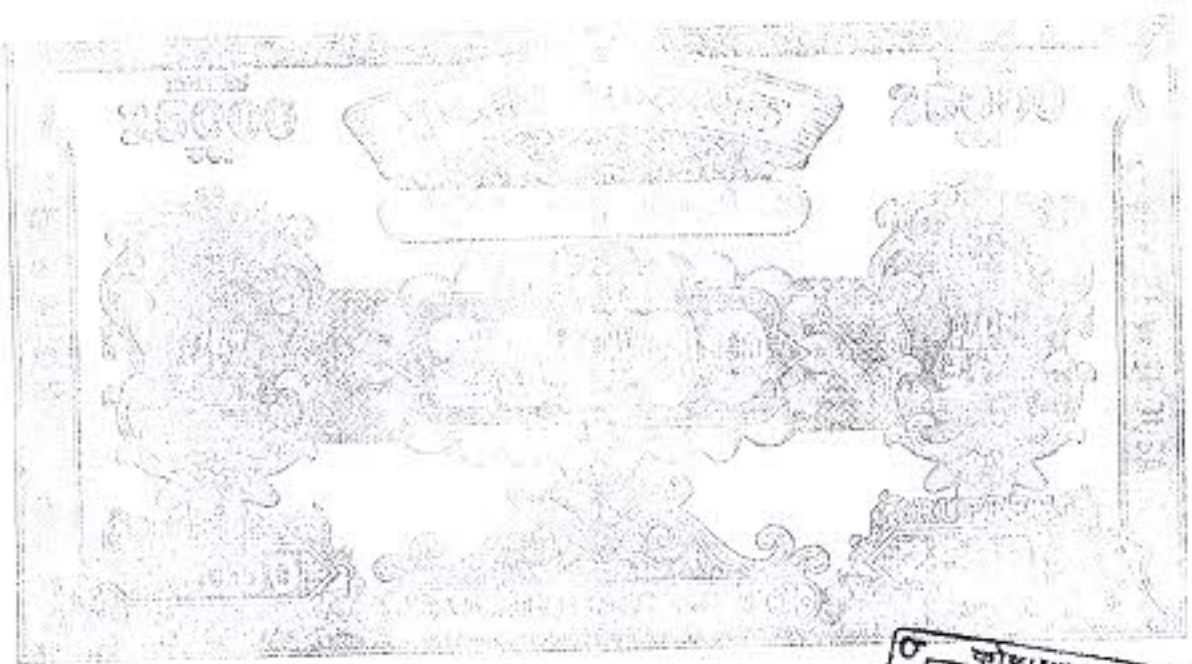
- 8 -

जिला लखनऊ जिन्हें आगे विकेतागण कहा गया है एवम् अंसल प्रापर्टीज एण्ड इनफास्ट्रक्चर लि० रजिस्टर्ड आफिस 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, वर्तमान पता वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र

सि.म.स.स.

सि.म.स.स.

सि.म.स.स.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-9-

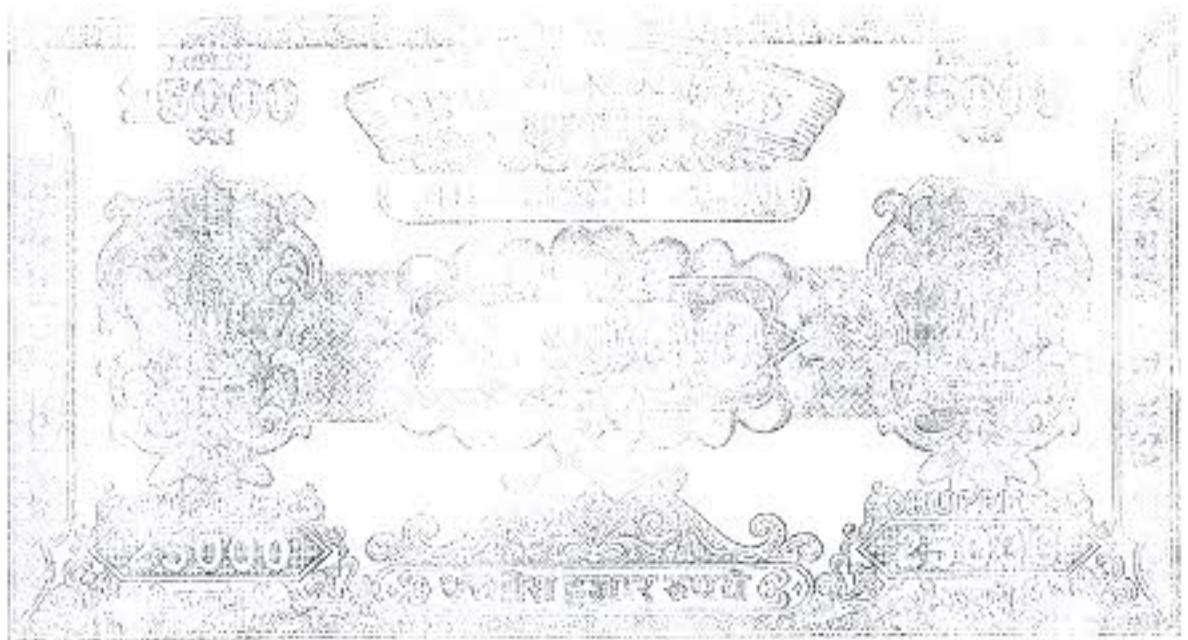
श्री गंगापाल सिंह वर्तमान व स्थायी पता वाई0एम0सी0ए0
बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ जिन्हें आगे कैता कहा
गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विकेतागण भूमि खसरा संख्या 70 रकबा 0.927
हेक्टेअर का 1/2 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.4635 हे0 स्थित ग्राम

1-17-8-40

1-17-8-40

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



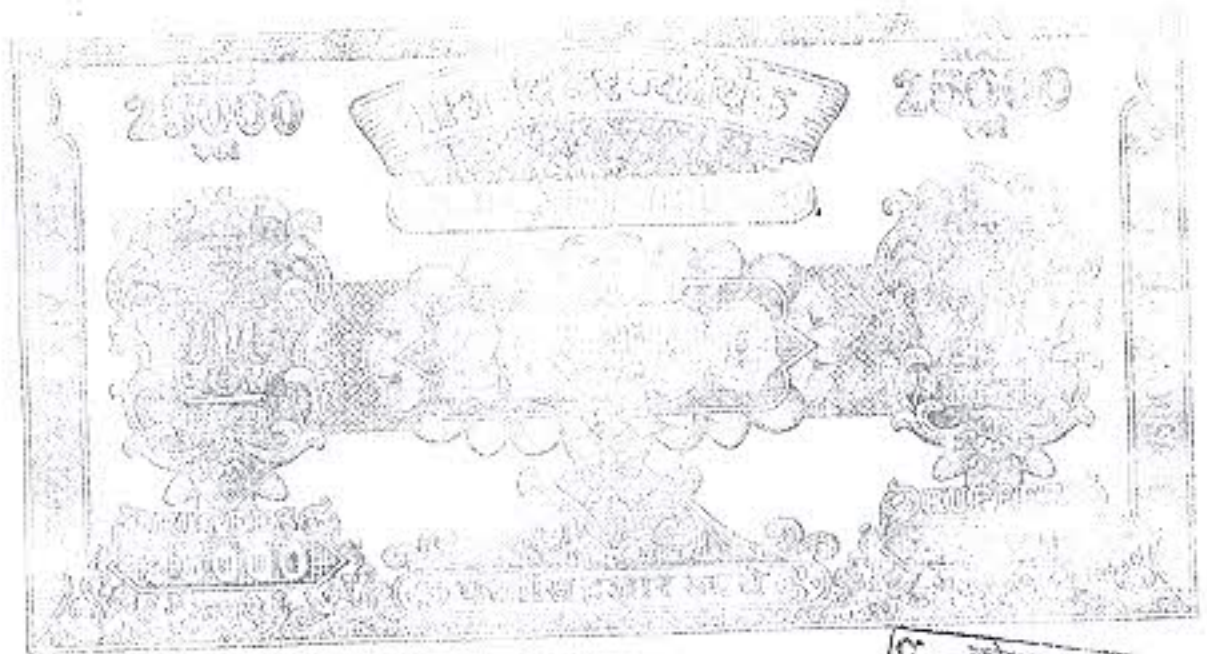
- 10 -

देवामऊ परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षट्वार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00062 के अनुसार भूमि विक्रेतागण के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता को उक्त भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता के नाम का

1/1/1954-55

नगरपालिका

1/1/1954-55



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



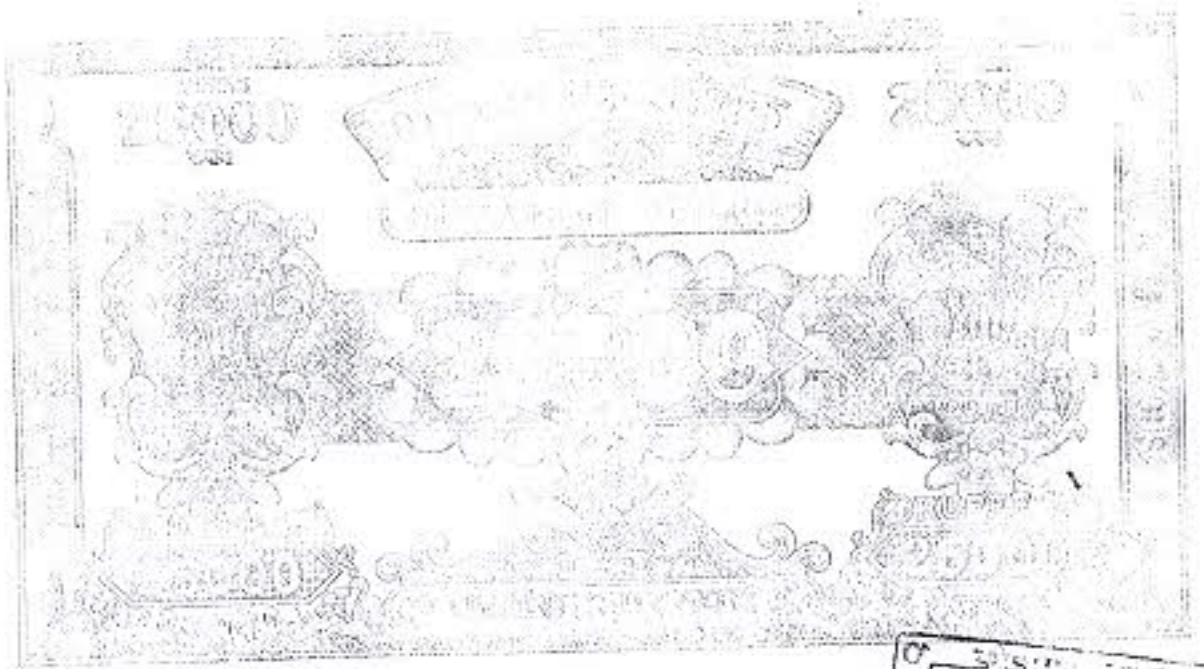
- 11 -

अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग व पट्टे की

ΣΠΟΝ 5-405

1. 9. 1942

6. *[Signature]*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 12 -

भूमि नहीं है। यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं दाय, हिदा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेतागण ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा

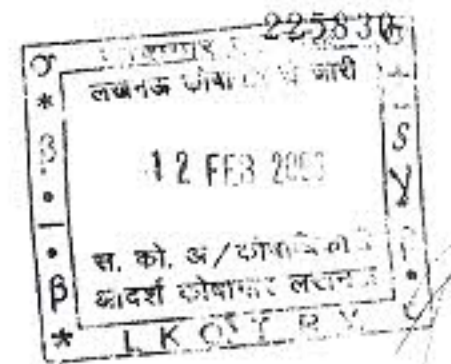
दिनांक १५.६.७७

दिनांक १५.६.७७

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



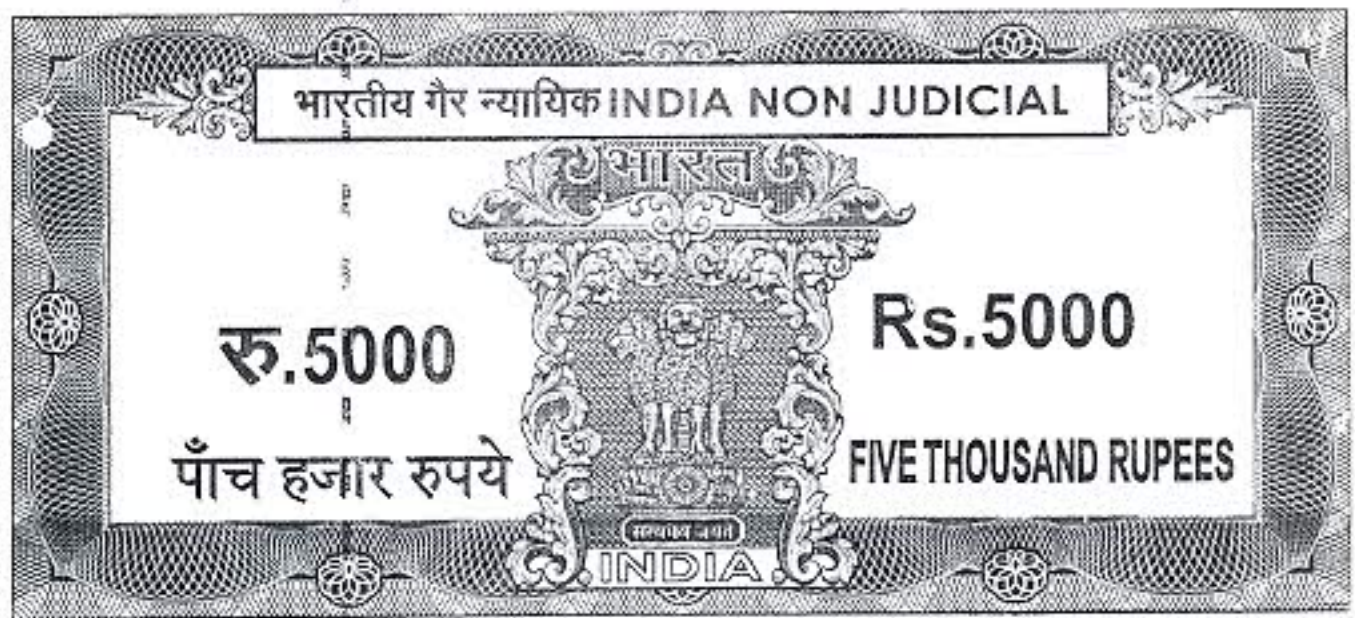
- 13 -

ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेतागण व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व हक या दावा

निर्दिष्ट-६८

निर्दिष्ट-६८

स. को. अ/उपनि. नि. अ. दर्श



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 14 -

इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रु0 34,91,024/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी

12/11/2011

विशेष न्यायाधीश

अ.प्र.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0142420

- 15 -

प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेतागण उक्त केता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुरूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा केता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी

1/10/54

निगम/वि.सं.

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 142419

- 16 -

पर विकेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है।
विकेतागण ने विकयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त
अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए केता को हस्तान्तरित
कर दिया है। अब केता विकयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग
को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप

12/11/2000

विकेतागण

12/11/2000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0142113

- 17 -

में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे । विकेतागण व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विकयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विकेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण केता या उसके वारिसान

11/11/2001 विकेतागण

सि



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 142112

- 18 -

निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो केता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस

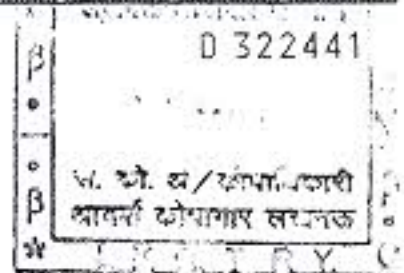
दि 17.5.1971

निष्पादकगण

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 19 -

स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा ।

यह कि विक्रेतागण यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर

12/11/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 322442

प. नो. ४/१५५४/१९९९
आकृति योग्यताए लक्षणक

- 20 -

सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि केता विकयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विकय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया

12/12/2004

निम्नलिखित

Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 322443

ज. प्र. स/१०००/१०००
गुप्तरी प्रमाणित कर

- 21 -

किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी ।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम देवामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु0 12,50,000/- प्रति हेक्टेअर है चूंकि भूमि का विक्रय कम्पनी के

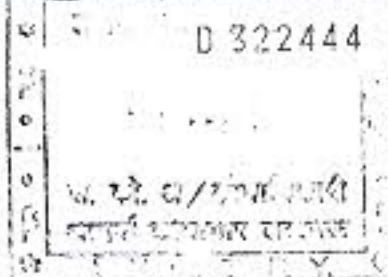
12/11/2024

सिद्धि

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 22 -

पक्ष में हो रहा है इसलिए 30 प्रतिशत वृद्धि करते हुए रु0 16,25,000/- के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.4635 हेक्टेअर की मालियत रु0 7,53,188/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 3,49,200/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि

12/11/2018

12/11/2018

12/11/2018



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 436527

- 23 -

उपरोक्त विकीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए ढय की जा रही है।
भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की
आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी
नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विकीत
भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं

12/11/2024

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 24 -

है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। इस विक्रय बिलेख के निबन्धन का समस्त व्यय केता द्वारा वहन किया गया है।

निमा २५८८

निमा २५८८

निमा २५८८

14-2-08
AP DL
6

विक्रय पत्र

3,491,024.00/ 510,000.00

5,000.00

40

5,040.00

2,000

फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

प्रतिफल नालियत

श्री/श्रीमती इंदल

पुत्र/पत्नी श्री झगड़ू

पेशा कृषि

निवासी स्थायी ग्राम देवामऊ पर0 विजनीर लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 14/2/2008 समय 5:16PM

वजे निवन्धन हेतु पेश किया।

Pr. 3.



एच.के. पान्डेय

उप निवन्धक (प्रथम)

लखनऊ

14/2/2008

विषयवस्तु लेखपत्र बाद पुनर्ने व समझने कजगुन व प्राप्त घनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती इंदल

पुत्र/पत्नी श्री झगड़ू

पेशा कृषि

निवासी ग्राम देवामऊ पर0 विजनीर लखनऊ

Pr. 3.



क्रेता

श्री/श्रीमती अंसल प्र0 एन्ड इन्का0 द्वारा धीरेन्द्र प्रताप सिंह

पुत्र/पत्नी श्री गंगापाल सिंह

पेशा नौकरी

निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

Pr. 3.



श्री/श्रीमती मिठाई लाल

पुत्र/पत्नी श्री झगड़ू

पेशा कृषि

निवासी ग्राम देवामऊ पर0 विजनीर लखनऊ

Pr. 3.



लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने केता के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

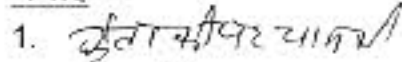
1. विक्रेतागण को रू0 17,45,512/- द्वारा चेक संख्या- 608813 दिनांकित 14.02.2008 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ केता से प्राप्त हुए।
2. विक्रेतागण को रू0 17,45,512/- द्वारा चेक संख्या- 608820 दिनांकित 14.02.2008 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ केता से प्राप्त हुए।

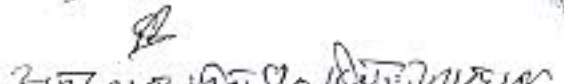
इस प्रकार विक्रेतागण को कुल विक्रय मूल्य रू0 34,91,024/- (रुपया चौतीस लाख इक्यान्नबे हजार चौबीस मात्र) केता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं तथा अब कोई भी धनराशि विक्रेता को केता से लेना शेष नहीं है।

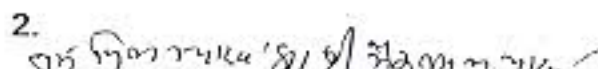
लखनऊ:

दिनांक : 14.02.2008

गवाह :

1. 


मनताप्य शिवा १० दिवसगवाह
मनताप्य शिवा १० दिवसगवाह

2. 
मनताप्य शिवा १० दिवसगवाह
मनताप्य शिवा १० दिवसगवाह

टाईपकर्ता:-


(मोनू कुमार)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:-


(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिलाधी पाठवान श्री अमरनाथ मिश्रा

पुत्र श्री दिवाकरलाल मिश्रा

पेशा व्यापार

निवासी गदनपोहन मालवीय मार्ग लखनऊ

व श्री राम मिलन यादव

पुत्र श्री मैकूलाल यादव

पेशा कृषि

निवासी त्रिलोकीनगर घुसवलकला लखनऊ

न श्री ।

फलपत्रक: गद साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिखे गये हैं।

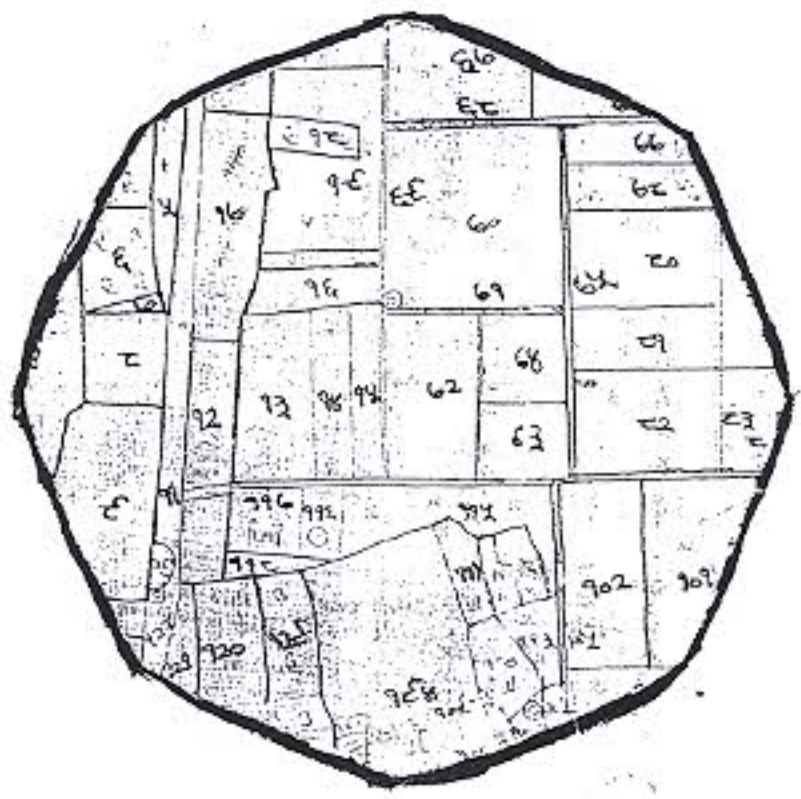


एच.के.पान्डेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
14/2/2008



गुज
पत्रांक 10

देवाधी कुरगना विजोरे सहसील व जिला- लाहुरा
70



सिमांकन
सिमांकन

[Handwritten signature]

देवा

विक्रेता

Registration No 1692

Year : 2008

Book No. 1

0101 इंदल

अगढ़

ग्राम देवामऊ पर0 विजनीर लखनऊ

कृषि



0102 मिर्छाई लाल

अगढ़

ग्राम देवामऊ पर0 विजनीर लखनऊ

कृषि



रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर प्रिंट्स

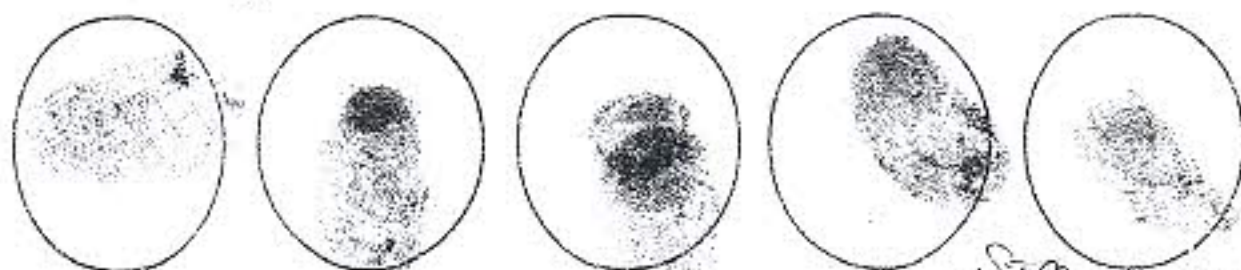
प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :-

ई देव नि. देवा बक
मैरकनक

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



नि. देव

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :-

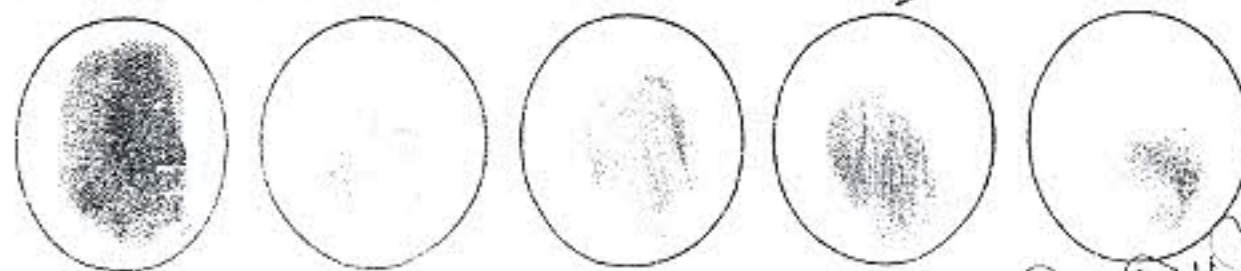
प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

वि. ठाई मात नि. उपरी

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



नि. देव

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता

Registration No. 1692

Year: 2008

Book No. 1

0201 अंसल प्र० एन्ड इन्फा० द्वारा वीरेन्द्र प्रताप सिंह
गंगापाल सिंह
13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ
गौकरी

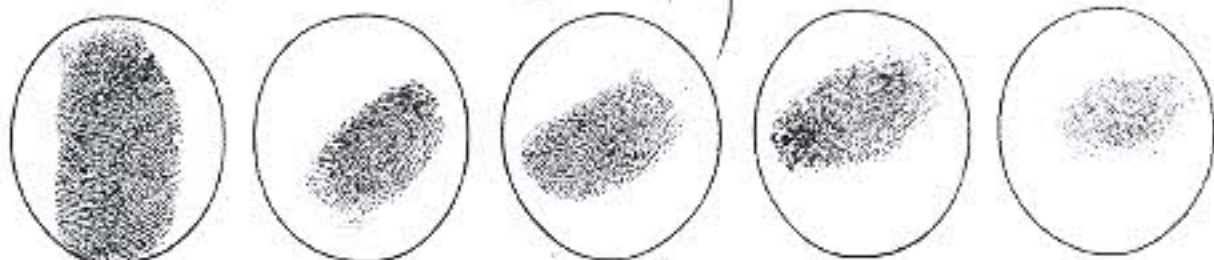


रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु.

फिंगरप्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

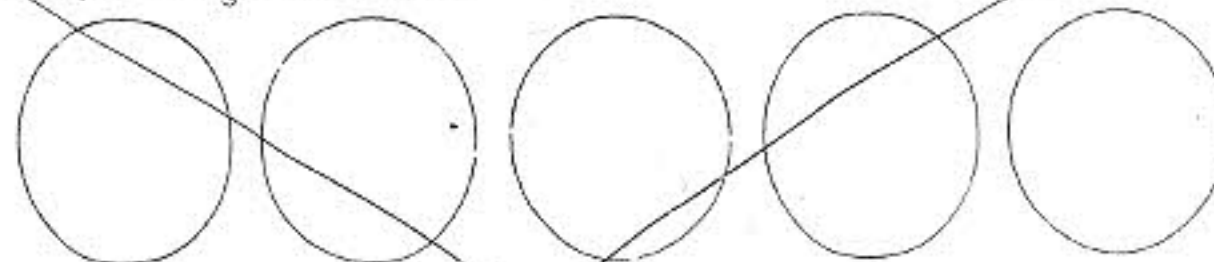


Actual Properties & Information

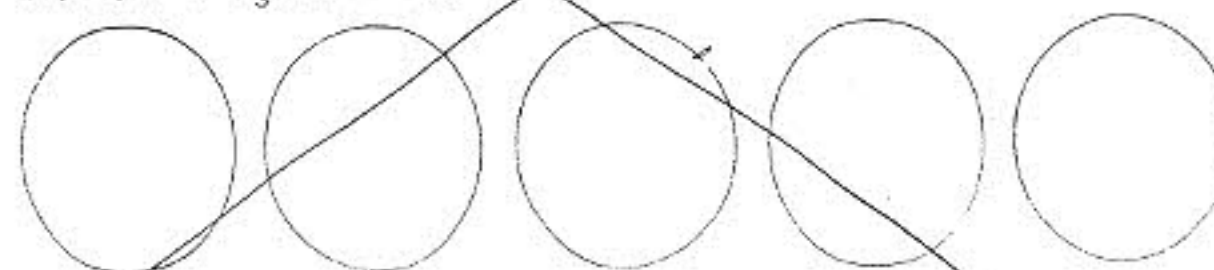
प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



आज दिनांक 14/02/2008 को

वही सं 1 जिल्द सं 8929

पृष्ठ सं 359 से 414 पर क्रमांक 1692

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।



